

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

आदेश संख्या: प्र03-प्र0-04/2014

6989

खाद्य, पटना/दिनांक 01/09/15


खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार के नियंत्रणाधीन बिहार आपूर्ति सेवा संवर्ग के निम्नांकित सेवा निवृत्त आपूर्ति निरीक्षक/पणन पदाधिकारी/सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी को बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त "सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2003", सुनिश्चित वृत्ति योजना (संशोधन) नियमावली 2006" एवं बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) निरसन (संशोधन) नियमावली 2013 में निहित प्रावधानों के तहत उनके नाम के सामने कंडिका (4) में अंकित देय तिथि से वेतनमान रु0 5500-175-9000/- (अपुनरीक्षित) में प्रथम वित्तीय उन्नयन एवं कंडिका- 05 में अंकित तिथि से वेतनमान रु0 6500-200-10500/- (अपुनरीक्षित) में द्वितीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र0	कर्मि का नाम/वर्तमान पदस्थापन	जन्मतिथि / सेवा निवृत्ति की तिथि	आ0नि0 संवर्ग में 12 वर्ष पूर्ण होने की तिथि/प्रथम वित्तीय उन्नयन की देय तिथि	आ0नि0 संवर्ग में 24 वर्ष पूर्ण होने की तिथि/द्वितीय वित्तीय उन्नयन की देय तिथि
1	2	3	4	5
1	श्री मुरारी मोहन शर्मा/सहायक जिला आपूर्ति पदा0, दानापुर, पटना	01.01.1956 31.12.2015	-	23.02.2009 23.02.2009
2	श्री देवेन्द्र कुमार सिन्हा/पणन पदा0, पटना अनुभाजन	01.01.1960 31.12.2019	-	03.03.2010 03.03.2010
3	श्री केदार नाथ द्विवेदी/प्र0आ0 पदा0, बिदुपुर, वैशाली	02.06.1959 30.06.2019	-	21.12.2009 21.12.2009
4	श्री लक्ष्मी प्रसाद/प्र0आ0 पदा0, वैशाली।	10.12.1960 31.12.2020	-	06.03.2010 06.03.2010
5	श्री सहेन्द्र कुमार सिंह/प्र0आ0 पदा, पुपरी, सीतामढी	15.01.1956 31.01.2016	-	06.03.2010 06.03.2010
6	श्री अनिल कुमार सिंह, सेवा निवृत्त पणन पदा0	02.05.1952 31.05.2012	-	14.03.2009 14.03.2009
7	श्री नागेन्द्र चौबे, आपूर्ति निरीक्षक त्रिवेनीगंज, सुपौल	09.02.1959 28.02.2019	01.03.1998 09.08.1999	01.03.2010 01.03.2010

2. सभी नियंत्री पदाधिकारी से अनुरोध है कि उपर्युक्त देय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का मिलान संबंधित कर्मियों के सेवा पुस्त से करने के पश्चात् ही देय आर्थिक लाभ क भुगतान किया जाय। त्रुटि परिलक्षित होने की स्थिति में अनुशंसा के साथ विभाग को प्रतिवेदि



किया जाय । एतद् संबंधी आदेश के फलस्वरूप अधिक राशि का भुगतान हो जाता है तो इसकी वसूली संबंधित कर्मी से एक मुश्त किया जाय ।


(शैलेन्द्र कुमार चौधरी)
सरकार के अपर सचिव ।


ज्ञापांक- प्र03प्रो0-04/2014

6989

खाद्य, पटना/दिनांक-

01/09/15

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार, पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के अपर सचिव ।


ज्ञापांक- प्र03प्रो0-04/2014

6989

खाद्य, पटना/दिनांक-

01/09/15

प्रतिलिपि- सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार के कोषांग/सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित उप निदेशक (खाद्य)/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/अपर समाहर्ता (आपूर्ति) पटना ग्रामीण/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना/सभी संबंधित कार्यरत/सेवा निवृत्त सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी/ पणन पदाधिकारी/सेवा निवृत्त आपूर्ति निरीक्षक, प्रशाखा पदाधिकारी- 08 एवं 05, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के अपर सचिव ।